न्यायालय– अजय कुमार खाखा, एकादश अपर सत्र न्यायाधीश,रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)	
(निर्णय दिनांक–19.01.2026) **(सत्र प्रकरण क्रमांक–261/2019)** **थाना–आरंग, जिला–रायपुर (छ.ग.)** **अपराध क्रमांक–187/2019** **धारा– 307 सहपठित 34 भारतीय दण्ड संहिता** (सी.आई.एस.क्र.– CGRP010078012019) संस्थित दिनांक–10.12.2019	
अभियोजन	छ.ग. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–आरंग, जिला–रायपुर (छ.ग.)
प्रतिनिधित्वकर्ता	सुश्री वर्षा जैन, अतिरिक्त लोक अभियोजक
विरूद्ध	
अभियुक्त	नारद साहू, पिता स्व. छन्नुराम साहू, उम्र 45 वर्ष, निवासी– ग्राम परसदा, थाना आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)
प्रतिनिधित्वकर्ता	अभियुक्त सहित श्री एन के वर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

घटना दिनांक	23.03.2019
प्रथम सूचना पत्र दर्ज दिनांक	23.03.2019
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	21.10.2019
आरोप विरचित दिनांक	22.01.2020
साक्ष्य प्रारंभ दिनांक	29.11.2021
निर्णय हेतु सुरक्षित रखे जाने का दिनांक	19.01.2026
निर्णय दिनांक	19.01.2026
दंडादेश दिनांक	निरंक

अभियुक्त का विवरण

क्र	अभि.गण का नाम	गिर. दिनांक	जमानत पर मुक्त किए जाने की दिनांक	आरोपित धारा	दोषमुक्त/ दोषसिद्ध	दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. प्रमाण पत्र
	नारद साहू	16.08.2019	निरंक	धारा– 307/ 34 भादस	दोषमुक्त	निरंक	16.08.2019 से 06.02.2020 तक (00 वर्ष , 05 माह, 20 दिन)

–अनुक्रमणिका–

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
1	निर्णय का शीर्षक	1
2	अधिवक्तागण की उपस्थिति	1
3	आरोप	3
4	स्वीकृत तथ्य	3
5	अभियोजन घटना	3 से 6
6	अभियोजन साक्षियों का विवरण	6 से 7
7	अभियो. द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शित दस्तावेज	7 से 8
8	निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार	10 से 22
9	दण्डादेश	निरंक
10	अभिरक्षा अवधि एवं मुजरा (दण्डादेश में समायोजन)	22
11	सम्पत्ति का निराकरण	22
12	क्षतिपूर्ति आदेश	23
13	धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र	24
14	सजा वारंट (कारावास या जुर्माना)	निरंक
15	निर्णय की प्रति	23

न्यायालय– पवन कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर छ.ग. द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 10840/2019, छ.ग. राज्य विरूद्ध नारव साहू व अन्य, अंतर्गत 307/34 भारतीय दण्ड संहिता में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 28.11.2019 से उदभूत सत्र प्रकरण।

– निर्णय –

(दिनांक 19.01.2026 को घोषित)

– आरोप –

01– अभियुक्त के विरूद्ध 307 सहपठित 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध का यह आरोप है कि आपने दिनांक 23.03.2019 को शाम लगभग 05.30 बजे, पुरूषोत्तम साहू के डेयरी, ग्राम परसदा, थाना आरंग, जिला रायपुर छ.ग. नामक स्थान पर अपने पास रखे लोहे जैसे औजार से पुरूषोत्तम साहू के सिर पर मारकर हत्या करने का सामान्य आशय विधि के साथ संघर्षरत किशोर के साथ मिलकर बनाया और सामान्य आशय के अग्रसरण में आपने पुरूषोत्तम साहू के सिर पर लोहे जैसे औजार से सिर के पिछले भाग पर कई बार पुरूषोत्तम साहू को मारकर उपहति कारित की, जिसके द्वारा पुरूषोत्तम साहू की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते ।

–स्वीकृत तथ्य–

02– प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकृत नहीं है ।

–अभियोजन का प्रकरण–

03– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी टिकाराम यादव ने दिनांक 23.03.2019 को थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह ग्राम केशला का रहने वाला है तथा रोजी मजदूरी का काम करता है । पिछले

चार वर्ष से पुरूषोत्तम साहू का ग्राम परसदा स्थित डेयरी में जानवरो की देखरेख व दुध निकालने का काम करता है । वह सुबह 05.00 से 10.00 बजे तक व शाम को 03.00 बजे से 07.00 बजे तक काम करता है । आज दिनांक 23.03.2019 दिन शनिवार को वह शाम को लगभग 05.30 बजे डेयरी में जानवरो को दाना दे रहा था उसी समय नारद साहू एवं उनके पुत्र रवि अपने हारवेस्टर को रिपेयरिंग कराने के लिए, पुरूषोत्तम साहू की डेयरी से बिजली लाईन खिचने के लिए वॉयर जोड रहा था, तब पुरूषोत्तम साहू ने मना किया । इसी बात को लेकर दोनो में वाद विवाद हो रहा था । उसी समय वह बाहर निकला तो देखा कि नारद और उनका पुत्र रवि साहू, पुरूषोत्तम साहू को जमीन में गिराकर कोई लोहे जैसे हथियार से मारपीट कर आज तुम्हे जान से खत्म कर देंगे कहकर मार रहे थे । तब वह जाकर बीच बचाव किया तो उसे रवि साहू ने तुम हमारे बीच में क्यों आये हो कहकर धक्का दिया । उसके बाद नारद साहू व रवि साहू वहां से चले गये । पुरूषोत्तम को नारद एवं रवि साहू ने लोहे के औजार से चोंट पहुंचाया है, जिससे पुरूषोत्तम साहू के सिर में बहुत खून निकल रहा था ।

04– अभियोजन का मामला आगे इस प्रकार है कि उसने पुरूषोत्तम को वहां से उठाकर मकान के पास ले गये । उसी समय उसका भतीजा पीलाराम आया, उसने उसे पुरूषोत्तम के घर घटना की जानकारी देने भेजा तब वहां से पुरूषोत्तम का बडा भाई ताम्रध्वज साहू व उनकी पत्नी सविता साहू आये । कुछ देर बाद उनके परिवार वाले एवं 108

वाहन आया, जिसमें घायल पुरूषोत्तम साहू को अस्पताल ले गये । घटना को नादर साहू के हारवेस्टर बनाने आये राजेश साहू, बेदराम साहू, घनश्याम साहू देखे सुने है । नारद साहू एवं रवि साहू ने बिजली तार कनेक्शन एवं जमीन विवाद के कारण पुरूषोत्तम साहू की हत्या करने के नियत से लोहे के हथियार से सिर में मारकर गंभीर चोट पहुंचाया ।

05– अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना प्रदर्श पी 12 लेखबद्ध कर आहत पुरूषोत्तम साहू का ईलाजा कराये जाने बाबत मुलाहिजा फार्म प्रदर्श पी 13 तैयार किया गया । घटना स्थल का नरजी नक्शा प्रदर्श पी 14 तैयार किया गया । पटवारी नक्शा हेतु तहरीर प्रदर्श पी 15 प्रेषित किया गया । जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 08,03 तैयार किया गया । प्रदर्श पी 16 के अनुसार क्यूरी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया । मेमोरेण्डम कथन अंकित कर गिरफतारी की सूचना उनके परिजनो को देकर उन्हें गिरफतार किया गया । जप्तशुदा प्रदार्थों को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया । गवाहों का कथन लेखबद्ध किया गया । विवेचना संबंधी सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर अभियुक्त नारद साहू एवं रवि कुमार के विरूद्ध पवन कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर छ.ग. के न्यायालय में अंतर्गत 307/ 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का अभियोग पत्र पेश किया गया, जहां दांडिक प्रकरण क्र. 10840/2019, के रूप में प्रकरण पंजीकृत किया गया। अभियुक्त रवि कुमार साहू की आयु घटना

के समय 18 वर्ष से कम होने के कारण उसके संबंध में पृथक से अभियोग पत्र किशोर न्यायिक बोर्ड रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया

06– उपरोक्त अपराध में विचारण करने का अनन्यतः क्षेत्राधिकार सत्र न्यायालय को प्राप्त होने पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर ने आदेश दिनांक 28.11.2019 के द्वारा उपरोक्त प्रकरण का उपार्पण द.प्र.सं. की धारा 209 के तहत माननीय सत्र न्यायाधीश, रायपुर को किया। माननीय सत्र न्यायाधीश, रायपुर के आदेशानुसार यह सत्र प्रकरण विधिवत निराकरण हेतु अंतरण पर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

07– अभियुक्त को धारा– 307/34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित कर उसे पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उन्होंने आरोप से अस्वीकार कर विचारण का दावा किया।

08– विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा निम्नलिखित साक्षियों के कथन लिपिबद्ध कराये गयेः–

साक्षी क्र.	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)**
PW–1	टीकाराम	प्रार्थी
PW–2	पुरूषोत्तम साहू	प्रार्थी / आहत
PW–3	कौशल कुमार साहू	जप्ती साक्षी
PW–4	संजय साहू	जप्ती साक्षी
PW–5	महेश दास	जप्ती साक्षी

PW–6	घनश्याम साहू	कथन साक्षी
PW–7	डिगेश्वर साहू	जप्ती साक्षी
PW–8	राजेश साहू	कथन साक्षी
PW–9	बेदराम साहू	कथन साक्षी
PW–10	सविता साहू	कथन साक्षी
PW–11	ताम्रध्वज साहू	कथन साक्षी
PW–12	कृष्ण कुमार साहू	जप्ती साक्षी
PW–13	डॉ गिरधर मिर्धा	चिकित्सक साक्षी
PW–14	देवकुमार निषाद	पुलिस साक्षी
PW–15	आर एस साहू	पुलिस साक्षी
PW–16	संतराम साहू	पंचनामा साक्षी
PW–17	अरूण कुमार भोई	पुलिस साक्षी
PW–18	डॉ राजेश जैन	चिकित्सक साक्षी
PW–19	डॉ आर सिरमौर	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी साक्षी

09– विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत कर साक्ष्य के दौरान प्रदर्शित कराया गया हैः–

1	प्रदर्श पी–1	मेमोरेण्डम कथन
2	प्रदर्श पी–2	जप्ती पत्रक
3	प्रदर्श पी–3	जप्ती पत्रक
4	प्रदर्श पी–4	साक्षी का धारा 161 द.प्र.सं. का बयान
5	प्रदर्श पी–5	साक्षी का धारा 161 द.प्र.सं. का बयान
6	प्रदर्श पी–6	साक्षी का धारा 161 द.प्र.सं. का बयान

7	प्रदर्श पी–7	साक्षी का धारा 161 द.प्र.सं. का बयान
8	प्रदर्श पी–8	जप्ती पत्रक
9	प्रदर्श पी–9	मुलाहिजा रिपोर्ट
10	प्रदर्श पी–10	जप्तशुदा सम्पत्तियों की सूची
11	प्रदर्श पी–11	प्राप्ति अभिस्वीकृति
12	प्रदर्श पी–12	प्रथम सूचना पत्र
13	प्रदर्श पी–13	मुलाहिजा
14	प्रदर्श पी–14	घटना स्थल का नजरी नक्शा
15	प्रदर्श पी–15	घटना स्थल का पटवारी नक्शा बाबत ज्ञापन
16	प्रदर्श पी–16	घटना स्थल का नजरी नक्शा
17	प्रदर्श पी–16	क्यूरी रिपोर्ट हेतु आवेदन
18	प्रदर्श पी–17	पंचनामा
19	प्रदर्श पी–18	जप्ती पत्रक
20	प्रदर्श पी–19	क्यूरी हेतु आवेदन एवं रिपोर्ट
21	प्रदर्श पी–20	परीक्षण रिपोर्ट हेतु आवेदन
22	प्रदर्श पी–21	गिरफतारी पत्रक
23	प्रदर्श पी–21	डिस्चार्ज समरी
24	प्रदर्श पी–22	गिरफतारी की सूचना
25	प्रदर्श पी–23	क्यूरी रिपोर्ट
26	प्रदर्श डी–1	समझौतानामा
27	प्रदर्श डी–2	आपत्ति आवेदन
28	प्रदर्श डी–3	सहमति पत्र
29	प्रदर्श डी–4	साक्षी का धारा 161 द.प्र.सं. का बयान
30	प्रदर्श डी–5	साक्षी का धारा 161 द.प्र.सं. का बयान

10– धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का परीक्षण किये जाने पर उसने स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त करते हुये अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

11– प्रकरण में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया। प्रकरण के निराकरण हेतु इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित अवधारणीय प्रश्न हैः–

> क्या आरोपी ने दिनांक 23.03.2019 को शाम लगभग 05.30 बजे, पुरूषोत्तम साहू के डेयरी, ग्राम परसदा, थाना आरंग, जिला रायपुर छ.ग. नामक स्थान पर अपने पास रखे लोहे जैसे औजार से पुरूषोत्तम साहू के सिर पर मारकर हत्या करने का सामान्य आशय विधि के साथ संघर्षरत किशोर के साथ मिलकर बनाया और सामान्य आशय के अग्रसरण में आपने पुरूषोत्तम साहू के सिर पर लोहे जैसे औजार से सिर के पिछले भाग पर कई बार पुरूषोत्तम साहू को मारकर उपहति कारित की, जिसके द्वारा पुरूषोत्तम साहू की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते ?

<u>–निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार–</u>

(उपरोक्त तीनों अवधारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्यों का क्रमबंधन बनाये रखने तथा पुनरावृत्ति के निवारण हेतु एक साथ किया जा रहा है।)

12– आहत पुरूषोत्तम साहू अ.सा.–2 ने बताया है कि वह आरोपी नारद साहू को जानता है । वे लोग चार भाई और एक बहन है । सभी अलग–अलग रहते हैं । दिनांक 23.03.2019 को शाम के समय वह दूध डेयरी में काम कर रहा था, तब उसने देखा कि आरोपी नारद साहू और उसका पुत्र हारवेस्टर पर काम कर रहे थे । वे उसके घर से लगे वॉयर को अपने उपयोग में ला रहे थे । उसके मना करने पर आरोपी और उसका पुत्र उससे झगडा करने लगे । वह आगे गया तब आरोपी नारद साहू लोहे की किसी वस्तु से पीछे से उसके सिर पर वार किया था, जिससे वह गिर गया । उसके गिरने के बाद आरोपी ने उसे मारपीट किया और उसे गाली गलौच किया था । वह बेहोश हो गया था । 10–12 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उसे होश आया था । लगभग एक माह बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली थी । खाते के विभाजन के संबंध में उसका अपने भाई नारद से विवाद हआ था । वह खाता विभाजन पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता था । सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी नारद साहू शामिलात खाते की भूमि में नम्बरदार होने का फायदा उठाकर उनके हिस्से के धान व बोनस का पैसा उन्हें नहीं देता था । उनके पारिवारिक बुजुर्गों के कहने

पर चार लाख रुपये का कर्ज छुटा था । आरोपी ने दिसम्बर 2018 में उसके हिस्से का धान बेच दिया था । आरोपी नारद साहू और उसके पुत्र ने उसकी हत्या करने की नियत से लोहे जैसे किसी औजार से उसे मारा था, जिससे उसके सिर के पीछे की हड्डी टूट गयी थी । उसका ऑपरेशन हआ था, जिसमें उसका बहुत खर्चा हआ था ।

13– सहायक उपनिरीक्षक **आर एस साहू अ.सा.–15** ने बताया है कि दिनांक 23.03.2019 को प्रार्थी टीकाराम ने थाना आरंग में उपस्थित होकर आरोपी नारद साहू और उसके पुत्र के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया था कि आरोपी ने आहत पुरूषोत्तम साहू को लोहे के औजार से सिर में मारकर चोंट पहुचाया था । प्रार्थी की सूचना पर उन्होंने आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 187/2019 में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 12 दर्ज् किया था । उन्होंने आहत पुरूषोत्तम को ईलाज हेतु प्रपी 13 का मुलाहिजा फार्म भरकर दिया । उसी दिनांक को घटना स्थल जाकर वहां का नजरी नक्शा प्रपी 14 तैया किया । घटना स्थल से खून आलूदा और सादी मिट्टी प्रपी–8 के अनुसार जप्त किया । दिनांक 29.09.2019 को आहत पुरूषोत्तम साहू से घटना के समय पहना हआ कपडा, पैंट शर्ट बनियान प्रपी–3 के अनुसार जप्त किया । प्रार्थी टीकारा, गवाह ताम्रध्वज, डीगेश्वर, राजेश उर्फ राजू, घनश्याम और वेदराम का बयान दर्ज किया था ।

14– इसी संबंध में प्रार्थी टीकाराम अ.सा.–1 ने बताया है कि वह आरोपी नारद साहू को जानता है । ग्राम केसला में आहत पुरूषोत्तम साहू के

डेयरी में वह मवेशियों की देख रेख का काम करता है । सुबह 05 से 10 बजे तक तथा दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक वहीं काम करता है । घटना के दिन आरोपी नारद साहू अपने खेत के बयारा में हारवेस्टर की रिपेयरिंग का काम कर रहा था, उसी समय आहत पुरूषोत्तम साहू, वहां आकर हारवेस्टर के लिए गये, बिजली के वॉयर को निकाल दिया । पुनः वॉयर जोडने पर आहत ने यह कहते हुये कि वॉयर उसका है, यदि आरोपी को रिपेयरिंग के लिए वॉयर चाहिए तो अपना स्वयं के वॉयर से करे, वॉयर को निकाल दिया । इसी कारण आरोपी और आहत के बीच वाद विवाद हआ । उनके बीच वॉयर को लेकर खींच तान होने लगा, तभी आहत पुरूषोत्तम पीठ के बल गिर गया, जिससे हारवेस्टर का लोहे का सामान जो जमीन पर रखा हआ था उसके सिर से टकरा गया । जिससे उसके सिर में चोंट लगी थी । उसके पश्चात आरोपी वहां से चला गया, तब उसने आहत को पानी पिलाया । उसी समय उसका भतीजा पीला राम वहां पर आया तब उसने पीलाराम को आहत के भाई को बुलाने कहा था । उसी समय पटवारी डिगेश्वर भी आ गया था । डीगेश्वर ने फोन कर गाडी बुलाया और आहत को अस्पताल लेकर गया था । पटवारी उसे लेकर थाना आरंग गया था, जहां उसने पुलिस को घटना के संबंध में बताया तब पुलिस ने उससे अंगुठा निशान लिया था । सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी नारद ने आहत पुरूषोत्तम को लोहे जैसे हथियार से मारपीट किया था, जिससे उसे चोंट आयी थी ।

15– आहत और आरोपी के भाई डिगेश्वर साहू अ.सा.–7 ने बताया है कि दिनांक 23.03.2019 की शाम 06.00 बजे उसके भाई ताम्रध्वज साहू ने फोन पर बताया था कि छोटे भाई पुरूषोत्तम साहू को बडे भाई नारद साहू और उसके पुत्र ने मारा है, बहुत खून बह रहा है, तुम तुरत आ जाओ । घटना के समय वह आंरग में था । सूचना पाकर वह अपनी मॉ के साथ घटना स्थल पर गया । रास्ते में उसने आरोपी उसके पुत्र और एक अन्य लडके को आरंग की ओर जाते हुये देखा था । वह सीधे घटना स्थल पहुंचा, जहॉ उसने देखा कि आहत पुरूषोत्तम साहू खून से लथपथ पडा हआ था । वहां उपस्थित टीकाराम से पूछने पर उसने बताया कि नारद और उसके पुत्र ने पुरूषोत्तम को मारा है । उसके बीच बचाव करने पर नारद के पुत्र ने उसे धक्का देकर गिरा दिया था । वे दोनों पुरूषोत्तम को मारते रहे, फिर खून से लथपथ देखकर भाग गये । साक्षी ने आहत के कपडे जप्त किये जाने की पुष्टि किया है ।

16– आरोपी और आहत के भाई ताम्रध्वर साहू अ.सा.–11 ने बताया है कि दिनांक 23.03.2019 को वह अपने गांव वाले घर में था । डेयरी में काम करने वाले पीलाराम ने उसके घर पर आकर बताया कि आहत पुरूषोत्तम के सिर से बहुत खून बह रहा है, तब वह डेयरी वाले घर गया था । उसने देखा कि पुरूषोत्तम खून से लथपथ पडा हआ था, टीकाराम वहीं बैठकर उसे हवा दे रहा था । पूछने पर टीकाराम ने उसे बताया कि पुरूषोत्तम साहू और उसके पुत्र ने मिलकर मारा है, जिसके बाद उसने अपने भाई डीगेश्वर को फोन कर बुलाया था और 112 वाहन

को भी बुलाया था। फिर वे आहत को आरंग अस्पताल लेकर गये थे, जिसके बाद उसे रायपुर ले गये थे। इस साक्षी ने भी आहत के खून से सने कपडे जप्त करने की पुष्टि किया है।

17– ताम्रध्वज की पत्नी श्रीमती सविता साहू अ.सा.–10 ने उक्त कथन का समर्थन करते हुये बताया है कि उनके गॉव में दो जगह घर है, बस्ती के घर में वह रहती है। दिनांक 23.03.2019 को उसका देवर पुरूषोत्तम प्लाट वाले घर में जहां डेयरी का काम होता है, वहीं पर था। डेयरी में काम करने वाले पीलाराम यादव ने शाम को उसके घर आकर बताया कि पुरूषोत्तम डेयरी फार्म में खून से लथपथ पडा हआ है, तब उसक पति ताम्रध्वज पीलाराम के साथ मौके पर गये थे। वह पैदल घटना स्थल पहुंची थी। डेयरी में काम करने वाले टीकाराम यादव ने उसे बताया था कि पुरूषोत्तम को आरोपी नारद साहू और उसके पुत्र ने मिलकर लोहे के हथियार जैसे किसी चीज से मारा था।

18– प्रत्यक्ष साक्षी घनश्याम साहू अ.सा.–6 ने बताया है कि घटना के दिन आरोपी नारद साहू हारवेस्टर रिपेयरिंग की जगह पर वॉयर लगा रहा था, तभी नारद और उसके पुत्र के बीच वाद विवाद हो रहा था, वहीं रिपेयरिंग का सामान रखा हआ था, जिस पर उसका पुत्र हपटकर गिर गया, जिससे उसे चोंट लगी थी, फिर उसने आहत को पानी पिलाया और उसके घर पर सूचना दिया था। फिर उसके घर वाले उसे अस्पताल ले गये थे। उक्त साक्षी के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस घटना में नारद के पुत्र को चोट आने का कोई

साक्ष्य नहीं है । घनश्याम के साथ मौके पर उपस्थित साक्षी राजेश साहू अ.सा.–8 और वेदराम साहू अ.सा.–9 दोनों ने कथन किया है कि घटना के दिन वे तीनों घनश्याम, राजेश और वेदराम हारवेस्टर का रिपेयरिंग करने आरोपी नारद साहू के बयारे में गये थे । रिपेयरिंग के दौरान बिजली का कनेक्शन कट गया तब नारद बिजली का कनेक्शन जोडने के लिए गया, तभी आहत पुरूषोत्तम साहू ने उसे कनेक्शन जोडने ने मना करने के लिए दौडा, तब वह सिर के बल गिर गया, जिससे उसे चोंट आयी थी । उक्त तीनों साक्षियों को सुझाव दिये जाने पर भी उन्होंने आरोपी का समर्थन नहीं किया है । बल्कि बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मौके पर लोहे का सामान बिखरा पडा था, आहत पुरूषोत्तम उन्हीं पर गिरा था, जिससे उसे चोंट आयी थी ।

19– आहत को आयी चोंट के संबंध में डॉक्टर गिरधर मिर्धा अ.सा.–13 ने कथन किया है कि वह शासकीय चिकित्सा महावद्यालय महासमुंद में नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ है । घटना के दिन थाना आरंग के आरक्षक क्रमांक 1589 ईश्वर ठाकुर ने आहत पुरूषोत्तम साहू को मुलाहिजा हेतु उनके समक्ष पेश किया था । उन्होंने आहत के परीक्षण में इन्डेक्स फिंगर के उपरी हिस्से में 2 गुण 0.5 सेमी आकार का लेसेरेटेड वुंड, बोयं आंख के उपरी पलक में 2 गुणा 0.5 सेमी आकार का लेसेरेटेड वुंड, आहत के दोनो ऑखों के उपर एवं नीचे पलकों में सूजन एवं कालापन लिए हुये 6 गुणा 2 सेमी आकार का चोट

का निशान, आहत के सरि के पीछे भाग में (आक्सीपीटल भाग में) 4 गुणा 1 सेमी आकार का लेसेरेटेड वुड, आह के बांये कान के उपरी हिस्से में सिर पर पैराइटल भाग में 5 गुणा 1 सेमी आकार का लेसेरेटेड वुंड, आहत के बांये कान के उपरी हिस्से में पैराइटल भाग के नीचे में 4 गुणा 1 सेमी आकार का लेसेरेटेड वुंड पाया था।

20– आहत बेहोश और गंभीर स्थिति में था। उन्होंने प्रारंभिक उपचार के बाद आहत को डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर रिफर किया था। उक्त् संबंध में साक्षी ने मुलाहिजा रिपोर्ट प्रपी –9 को प्रमाणित किया है। सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति से लोहे के हारवेस्टर पर सिर के बल गिरता है तो उसे आहत को आई चोट जैसी चोट आना संभव है।

21– मेडिसिन अस्पताल न्यू राजेन्द्र नगर के न्यूरोसर्जन डॉ राजेश जैन अ.सा.–18 ने कथन किया है कि दिनांक 23.03.2019 को रात्रि 09.30 बजे आहत पुरूषोत्तम साहू को सिर में चोंट के ईलाज के लिए उनके अस्पताल में भर्ती किया गया था। पूछने पर आहत ने उसे बताया कि सिर पर भारी चीज से मारा गया और उसके बांये कंधे पर भी मारा गया था। भर्ती करते समय वह सुस्त था, उसका रक्तचाप और हृदय गति और सांसो का लेना सामान्य था। उसके सिर के पीछे हिस्से में जख्म था। जहां पर सिर की हड्डी दिख रही थी। सिटी स्केन में उसके ब्रेन में सिर की बांयी तरफ पीछे की हड्डी टुटकर अंदर ब्रेन में

धसी हुयी थी । जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लड क्लाटिंग था । ब्रेन में बहुत सूजन था । उसके दाहिने तरफ की आंख की हड्डी भी फ्रेक्चर थी । उसके सिर का ऑपरेशन कर धंसी हुयी हड्डी को निकाला गया । अंदर से ब्लड क्लाटिंग को निकाला गया, नसों को टांके लगाये गये । उसके पश्चात जख्म को प्लास्टिक सर्जरी कर ढका गया था और दिनांक 19.04.2019 को उसे अस्पताल से मुक्त किया गया था । उक्त् संबंध में साक्षी ने डिस्चार्ज समरी प्रदर्श पी 21 को प्रमाणित किया है । दिनांक 07.09.2019 को थाना प्रभारी आरंग ने प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे का चिमटा क्यूरी हेतु उनके समक्ष पेश किया था । जिसके परीक्षण के बाद उनहोंने अपना अभिमत दिया था । उकने मतानुसार आहत पुरूषोत्तम साहू को सिर में आयी चोट उक्त् लोहे की वस्तु से तिव्र गति से प्रहार करने पर आ साकती थी । जप्त लोहे के वस्तु पर मानव रक्त होने के सबंध में उन्होंने फारेंसिक रिपोर्ट लिये जाने की सलाह दिया था । उक्त संबंध में साक्षी ने क्यूरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 को प्रमाणित किया है । प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि हारवेस्टर रिपेयरिंग के समय आहत के हारवेस्टर के नीचे रखे लोहे के सामान पर गिरने से उक्त् चोट आ सकती थी ।

22– वरिष्ट वैज्ञानिक अधिकारी एवं सहायक रासायनिक परीक्षक डॉ आर.सिर मौर अ.सा.–19 ने बताया है कि उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर से थाना आरंग के अपाराध क्रमांक 187/2019 अंतर्गत धारा 307/34 भादवि के अपराध में जप्त माल के रासायनीक परीक्षण हेतु

ज्ञापन प्राप्त हआ था । ज्ञापन के साथ खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, खून लगा शर्ट, खून लगा बनियान, खून लगा जिंस, लोहे का चिमटा और फूल शर्ट सीलबंद हालत में प्राप्त हआ था । उन्होंने जप्तशुदा माल का परीक्षण कर सादी मिट्टी, बनियान, जींस, चिमटा और शर्ट में खून पाया था । मिट्टी और आहत के शर्ट में खून नहीं पाया था । आहत की बनियान में मानव रक्त था । शेष सामग्री में पाया गया खून विघटित होने के कारण उसकी प्रजाति ज्ञात नहीं कर पायी गयी थी । आहत के बनियान में पाया गया रक्त ए–समूह का रक्त था । उक्त संबंध में साक्षी ने परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 23 को प्रमाणित किया है । प्रतीपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्तशुदा चिमटा और फुल शर्ट में मानव रक्त नहीं था ।

23– उक्त् कार्यवाही के पूर्व विवेचक अरूण कुमार भोई सहायक उपनिरीक्षक अ.सा.–17 ने बताया है कि उपनिरीक्षक आर एस गिरी की मृत्यु हो गयी है । वह उनका सहकर्मी रहा है, इसलिए उनके हस्ताक्षर पहचानता है । उपनिरीक्षक आर एस गिरी ने दिनांक 17.08.2019 को आरोपी नारद साहू का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी 01 दर्ज किया था । इसी दिनांक को उन्होनें आरोपी नारद साहू से हारवेस्टर का लोहे का चिमटा, और एक फुट शर्ट प्रदर्श पी 02 के अनुसार जप्त किया था । मेमोरेण्डम और जप्ती के साक्षी कौशल कुमार साहू अ.सा.–3 व मेहश दास अ.सा.–5 ने बताया है कि पुलिस वाले ने उनके समक्ष आरोपी नारद साहू से पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम दर्ज् नहीं किया था ।

उनके मेमोरेण्डम और जप्ती पत्रक पर हस्ताक्षर लिया गया था, पर किसी वस्तु की जप्ती नहीं की गयी थी । सुझाव दिये जान पर भी उन्होंने आरोपी का समर्थन नहीं किया है । एक अन्य साक्षी संजय साहू अ.सा.–4 ने आहत से कपडे जप्त किये जाने के तथ्य से इंकार किया है, जबकि साक्षी कृष्ण कुमार साहू अ.सा.–12 ने खून आलूदा मिट्टी जप्त किये जाने की पुष्टि किया है ।

24– अभियोजन कथानुसार घटना के दिन आरोपी नारद साहू अपने पुत्र के साथ हारवेस्टर की रिपेयरिंग कर रहा था । उन्होंने डेयरी से बिजली खिंचने के लिए वॉयर जोडा था । आहत पुरूषोत्तम के मना करने पर उन्होंने पुरूषोत्तम को लोहे के औजार से मारपीट किया था, जिससे पुरूषोत्तम के सिर में गंभीर चोट आयी थी । घटना के बाद आहत को अस्पताल ले जाया गया । डॉ गिरधर मिर्धा अ.सा.–13 के कथानुसार उन्होंने आहत के उंगलियों, ऑख की पलक और उसके उपर सिर के पीछे भाग, बांये कान के उपर चोटें पायी थी । प्रारंभिक उपचार के बाद आहत को डॉक्टर को भीम राव अम्बेडकर अस्पताल रिफर किया गया, पर आहत को वहां न लेजाकर मेडिसाइन अस्पताल न्यू राजेन्द्र नगर में भर्ती किया गया । डॉ राजेश जैन अ.सा.–18 के कथनानुसार आहत के सिर के बांयी तरफ की हड्डी टूटकर ब्रेन में धंस गयी थी । उसके दाहिनी ऑख की हड्डी में भी फ्रेक्चर पाया गया था । ईलाज के लगभग 27 दिनों बाद उसे अस्पताल से मुक्त किया गया था । इस तरह आहत पुरूषोत्तम साहू को सिर में गंभीर प्रकृत्ति की चोट आने की पुष्टि

मुलाहिजा रिपोर्ट प्रपी–9 और डिस्चार्ज समरी प्रपी 21 से हुयी है। क्यूरी रिपोर्ट प्रपी 19 के अनुसार आहत को आयी उक्त चोट प्रकरण में जप्तशुदा लोहे के चीमटे से कारित होना संभावित बताया गया है।

25– अभियोजन ने आरोपी पर यह अभियोग लगाया है कि आहत को आयी उक्त चोट आरोपी नारद साहू और उसके पुत्र द्वारा आहत की हत्या कारित करने के आशय से लोहे के चिमटे के प्रहार से कारित की गयी है। इस संबंध में आहत पुरूषोत्तम अ सा 2 ने कथन किया है कि वॉयर लगाने से मना करने पर आरोपी नारद और उसके पुत्र ने उसके साथ झगडा किया था। जब वह आगे गया तब आरोपी नारद ने उसे लोहे जैसे किसी वस्तु से सिर पर मारा था, जिसके बाद वह बेहोश हो गया था। घटना के समय मौके पर प्रार्थी टीकाराम अ.सा.–1, गवाह घनश्यासम साहू अ.सा.–6, राजू साहू अ.सा.–8 और वेद राम साहू अ.सा.–9 उपस्थित थे। उक्त् सभी साक्षियों ने कथन किया है कि वॉयर लगाने के विवाद पर आहत पुरूषोत्तम और आरोपी नारद के बीच खींच तान हुयी थी अथवा आहत आरोपी को वॉयर लगाने से मना करने के लिए दौडा था, तब स्वतः लोहे की वस्तु पर गिरने से उसके सिर में चोंट आयी थी। घटना के तुरत बाद मौके पर पीलाराम यादव पहुंचा था, पर उक्त् व्यक्ति को प्रकरण में परीक्षण नहीं कराया गया है। पीलाराम ने जाकर आहत के भाई डिगेश्वर साहू, ताम्रध्वज साहू और सविता साहू को घटना के बारे में बताया। वे सभी मौके पर पहुंचे, तब प्रार्थी टीकाराम ने बताया था कि आरोपी नारद ने आहत पुरूषोत्तम को

लोहे की वस्तु से मारा है । परीक्षण के दौरान स्वयं प्रार्थी टीकाराम ने इस तथ्य की पुष्टि नहीं किया है । इस तरह आहत पुरूषोत्तम के साक्ष के अतिरिक्त घटना की पुष्टि किसी भी अन्य साक्षी ने उसका समर्थन नहीं किया है । उपलब्ध साक्ष्य से इस बात की पुष्टि हुयी है कि दिनांक 23.03.2019 की शाम आहत पुरूषोत्तम साहू को लोहे की वस्तु से सिर पर गंभीर चोंट कारित हुयी थी, पर यह तथ्य साबित नहीं हआ है कि आरोपी नारद ने लोहे की वस्तु से उसकी हत्या करने के आश्य से प्रहार कर उसे गंभीर उपहति कारित किया था ।

26– परीक्षण के दौरान अभियोजन साक्षी टीकाराम साहू, घनश्याम साहू, राजेश साहू और वेदराम साहू ने आहत को स्वयं गिरकर चोंट कारित होना बताया है । आहत की मुलाहिजा के साथ डॉ गिरधर और डॉ राजेश जैन ने भी आहत को आयी चोट स्वतः गिरने से कारित होने की संभावना को स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में दो संभावना प्रकट होती है–प्रथम आहत को आयी चोंट आरोपी के प्रहार करने से कारित हुयी थी, दूसरी उसे यह चोंट स्वतः गिरने से कारित हुयी थी । जहां किसी तथ्य पर दो दृष्टिकोड प्रकट होते है, वहां आरोपी के पक्ष में प्राप्त दृष्टिकोड को स्वीकार किया जाना चाहिए । इस संबंध में न्यायदृष्टांत अवलोकनीय है– **स्टेट ऑफ पंजाब बनाम सौरभ, 2015 (5) सु.को.के.182.2015 ए.आई.आर. एस.सी. डब्ल्यू 2249 एवं स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बना बैशाखीराम, 2019,क्रि.लॉ ज. 4874 हिमाचल प्रदेश** में यह उल्लेखनीय है कि यदि समान साक्ष्य से दो

युक्तियुक्त् विचार निकाले जाना संभाव हो तो अभियुक्त के पक्ष को ग्रहण किया जाना चाहिए ।

27– उपरोक्तानुसार आये हुये साक्ष्य, साक्ष्य विवेचना और न्यायदृष्टातों के आलोक में अभियोजन अपना प्रकरण अभियुक्त नारद साहू के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है । अतः अभियुक्त नारद साहू को संदेह का लाभ देते हुये **भा.द.सं. की धारा–307 सहपठित 34** के तहत दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

–अभिरक्षा अवधि–

28– अभियुक्त दिनांक 16.08.2019 से 06.02.2020 तक (00 वर्ष , 05 माह, 20 दिन) तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। अतः इस संबंध में द.प्र.सं. की धारा–428 का प्रमाण पत्र तैयार कर निर्णय के साथ संलग्न किया जावे।

–जप्तशुदा सम्पत्ति का निराकरण–

29– प्रकरण में जप्तशुदा हारवेस्टर का लोहे का चिमटा, आरोपी तथा प्रर्थी के घटना के समय पहने कपडे मूल्यहीन सम्पत्ति होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने पर नष्ट किया जावे। अपील होने पर उपरोक्त समस्त सम्पित्तियों का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार किया जावे।

–क्षतिपूर्ति राशि का आदेश–

30– प्रकरण की स्थिति को देखते हुये पीडित क्षतिपूर्ति योजना के तहत किसी को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु यह उचित प्रकरण नहीं है।

–निर्णय की प्रतिलिपि–

31– धारा 365 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार निर्णय की निःशुल्क प्रति लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट रायपुर को तथा **माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत छ.ग. राज्य विरूद्ध प्रमोद राम सस्तुराम नगेशिया आई.एल.आर 2019 छ.ग. 2023** के परिपालन में आहत को प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर
टंकित किया गया

सही/-
(अजय कुमार खाखा)
एकादश अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
जिला रायपुर छ.ग.

सही/-
(अजय कुमार खाखा)
एकादश अपर .सत्र न्यायाधीश,रायपुर
जिला रायपुर छ.ग.

अभियुक्त का धारा–428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र					
क्र	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक/पुलिस अभिरक्षा की अवधि	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	कुल अभिरक्षा की अवधि	समायोजन अवधि
1	नारद साहू	16.08.2019	16.08.201	16.08.201 से 06.02.2020 तक (00 वर्ष , 05 माह, 20 दिन)	16.08.201 से 06.02.2020 तक (00 वर्ष , 05 माह, 20 दिन)

सही/-

(अजय कुमार खाखा)
एकादश अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर
जिला– रायपुर (छ.ग.)